B.Com Part – 1
Business organisation (1)

साझेदारी – Partnership

Q:— साझेदारी के गुण-दोष बताइये।

Ans:— साझेदारी के गुण

साझेदारी व्यवसाय के बहुत सारे लाभ है जो निम्न है —

(1) व्यवसाय-प्रारम्भ करने में सरलता — इकाकी व्यापार के तरह साझेदारी की स्थापना भी सरलता से की जा सकती है। इसके लिए बहुत बड़ी कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है। साझेदार आपस में मौखिक या लिखित अनुबंध के आधार पर साझेदारी फर्म का गठन कर सकते है।

(2) अधिक संसाधनों की उपलब्धता — आज व्यवसाय का स्वरूप बदल रहा है। फर्म व्यवसाय में काफी प्रतियोगिता होते जा रहे है। जिसमें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ती है। साझेदारी में दो या अधिक व्यक्ति होने के कारण एकल व्यवसाय की तुलना में अधिक पूंजी लगायी जा सकती है। व्यवसाय के लिए अधिक श्रम एवं अधिक कुशल साझेदार होने के कारण व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ा सकते है।

(3) संतुलित निर्णय — साझेदार ही व्यवसाय के स्वामी है। व्यवसाय में लाभ होने की स्थिति में सभी साझेदारों को इसका लाभ मिलता है फर्म हानि की स्थिति में सभी साझेदारों का नुकसान उठाना पड़ता है। साझेदारी में प्रत्येक साझेदारी फर्म में भाग लेने का अधिकार है। किसी तरह के

मतभेद होने पर वे आपस में बैठक, टकराव की स्थिति को टाल सकते हैं। इस व्यवसाय में सभी साझेदार आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं। इसलिए निष्क्रिय में गलतफहमी के बिना सोचे समझे निर्णयों की गुंजाइश कम रहती है।

(5) हानियों का विभाजन — साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिलकर मोर्चा उठाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी साझेदारी फर्म चार साझेदार हैं लाभों को बराबर विभाजित करते हैं तथा किसी समय फर्म को 1,00,000 रुपये की हानि होती है तो चारों साझेदारों को पच्चीस-पच्चीस हजार की हानि का बोझ उठायेंगे।

साझेदारी के दोष —

साझेदारी के दोष निम्नलिखित हैं। जो निम्न है —

(1) असीमित देनदारी — साझेदारी फर्म के अन्दर हानियों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी के अन्दर यदि त्रुटि किया जाता है। तो उसका दायित्व सभी साझेदारों पर असीमित रूप से होता है। यदि फर्म या त्रुटि वे फर्म के धरोहर से नहीं का पाते हैं तो उनके देनदारी उनके निजी धरोहर से भी करना पड़ता है।

(2) अनिश्चित अस्थिर अस्तित्व — साझेदारी व्यवसाय का अपने साझेदारों से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। किसी भी साझेदार मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन या उसकी सेवानिवृत्ति से साझेदारी फर्म प्रायः समाप्त हो जाती है।

इसके अतिरिक्त कोई भी असंतुष्ट साझेदार सब चाहे साझेदारी भंग कराने का नोटिस दे सकता है।

(3) सीमित पूंजी — चूँकि साझेदारी में साझेदारों की संख्या सीमित होती है। अतः बहुत बड़े व्यवसाय के लिए बहुत ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उतना अधिक पूंजी की व्यवस्था का पाना कठिन है। जिसके चलते कोई बड़ा व्यवसाय का पाना संभव नहीं होता है।

(4) दूसरे का हस्तांतरण नहीं — यदि आप किसी साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी है तो दूसरे साझेदारों के सहमति के बिना हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उस साझेदार को अधिकार होता है जो फर्म से अलग होना चाहता या अपना हिस्सा दूसरों को बेचना चाहता है।

Dr. Raj Kumar Prasad
Associate Professor
Dept. of Commerce
Shershah College
SASARAM